पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 2013 ई0 (भाद्रपद 09, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–35

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	401–407	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	335–367	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना / नियुक्ति

11 मई, 2013 ई0

संख्या 473 / XXVIII-3-2013-74/2007–अधिसूचना संख्या–124 / XXVIII-3-2012-74/2007, दिनांक 18–09–2012 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री राज्यपाल महोदय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 सपठित औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 59(1), 60 तथा 67 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री हेमन्त सिंह नेगी, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमायूं मण्डल, नैनीताल को अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान दायित्वों के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूं मण्डल परिक्षेत्र के लिये नियमावली के भाग–VI तथा VI-A के प्रयोजनार्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) नियुक्त करते हैं।

अधिसूचना / नियुक्ति

11 मई, 2013 ई0

संख्या 474 / XXVIII-3-2013-74/2007–अधिसूचना संख्या–124 / XXVIII-3-2012-74/2007, दिनांक 18–09–2012 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री राज्यपाल महोदय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 सपठित औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 59(1), 60 तथा 67 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गौरव सिंह, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, कार्यालय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान दायित्वों के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल परिक्षेत्र के लिये नियमावली के भाग–VI तथा VI-A के प्रयोजनार्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

1 जून, 2013 ई0

संख्या 1362 / xx-1/13-11(03)/2012–"उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2007)" की धारा 4(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 772/xx-01/12-11(03)/2012, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को निरस्त करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित तालिका के अनुसार पूर्व की भांति प्रदेश के जनपदों को 02 पुलिस परिक्षेत्र (रेंज) में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पुलिस परिक्षेत्र	परिक्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित जनपद	परिक्षेत्र का मुख्यालय
1.	गढ़वाल	देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग	पौड़ी
2.	कुमाऊँ	नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर	नैनीताल

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

प्रोन्नति

04 जून, 2013 ई0

संख्या 792/XIII-1/2013-3(18)2005–कृषि विभाग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा, वर्ग–1 (विकास शाखा) वेतनमान ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4600 के पद पर कार्यरत निम्न कार्मिकों को कृषि सेवा श्रेणी–2 सेक्शन 'बी' (विकास शाखा) वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 के पद पर चयन वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित पदोन्नति कर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	ज्येष्ठता क्रमांक	चयन वर्ष
1.	श्री कीर्तिबल्लभ शर्मा अधीनस्थ कृषि सेवा, वर्ग–1(विकास शाखा)	22 (ज्येष्ठता सूची भाग–2)	2012–13
2.	श्री महेश प्रसाद पन्त अधीनस्थ कृषि सेवा, वर्ग–1(विकास शाखा)	24 (ज्येष्ठता सूची भाग–2)	2012–13
3.	श्री हर्ष सिंह मस्यूनी अधीनस्थ कृषि सेवा, वर्ग–1(विकास शाखा)	27 (ज्येष्ठता सूची भाग–2)	2012–13

सम्बन्धित अधिकारी तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें। उपरोक्त कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

नियुक्ति/विज्ञप्ति

11 जून, 2013 ई0

संख्या 1431/XXXX/2013-177/2010–श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी अधिकारी, फार्मेसी को विभागीय चयन समिति की संस्तुति दिनांक 03–06–2013 के क्रम में नियमित चयनोपरान्त उप निदेशक, फार्मेसी के पद पर वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड–पे ₹ 6600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाता है।

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

11 जून, 2013 ई0

संख्या 1433/XXXX/2013-41/2007–आयुर्वेदिक सेवा संगठन में कलैण्डर वर्ष 2013 में निम्नलिखित अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगें:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	सेवानिवृत्त की तिथि
1.	डा0 पूजा भारद्वाज	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें	30–06–2013
2.	डा0 प्रदीप कुमार	प्रोफेसर/प्राचार्य एवं अधीक्षक	31–07–2013
3.	डा0 देवेन्द्र कुमार शर्मा	संयुक्त निदेशक	31–10–2013
4.	डा0 गिरिराज शर्मा	संयुक्त निदेशक	31–12–2013
5.	डा0 हरिकान्त	चिकित्साधिकारी/कार्यवाहक जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	31–07–2013
6.	डा0 आर्येन्द्र सिंह	चिकित्साधिकारी/कार्यवाहक जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	31–08–2013

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	सेवानिवृत्त की तिथि
7.	डा0 वीरेन्द्र नाथ गुप्ता	चिकित्साधिकारी	30–06–2013
8.	डा0 कृष्णा शर्मा	चिकित्साधिकारी	31–07–2013
9.	डा0 राजेन्द्र सिंह वर्मा	चिकित्साधिकारी	31–07–2013
10.	डा0 नरेन्द्र नाथ पाण्डेय	औषधि विश्लेषक	31–07–2013
11.	डा0 सन्तोष गुप्ता	चिकित्साधिकारी	31–08–2013
12.	डा0 चन्द्रशेखर त्यागी	चिकित्साधिकारी	30–09–2013
13.	डा0 देवेन्द्र सिंह लिंगवाल	चिकित्साधिकारी	31–12–2013

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

विधान सभा सचिवालय

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति / नियुक्ति

14 जून, 2013 ई0

संख्या 815 / वि0स0 / 25 / अधि0 / 2001–कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1541 / वि0स0 / अधि0 / 03 / 2000, दिनांक 06 जुलाई, 2002 द्वारा वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 में सृजित जन–सम्पर्क अधिकारी के एक निःसंवर्गीय अस्थायी रिक्त पद के सापेक्ष श्री ईश्वरी दत्त मैखुरी पुत्र श्री गोपाल दत्त मैखुरी, एच0एन0 बहुगुणा नगर, कर्णप्रयाग, जिला चमोली को मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा के साथ दिनांक 01 मई, 2013 से तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री ईश्वरी प्रसाद मैखुरी की उपर्युक्त नियुक्ति 'को टर्मिनस विद द आफिस' होगी, जो मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा के वर्तमान पदधारक के कार्यकाल अथवा उनकी इच्छा तक, जो भी पहले हो, तक ही रहेगी।

श्री ईश्वरी प्रसाद मैखुरी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

29 मई, 2013 ई0

संख्या 1272 / VI/2013-231(पर्य0) / 2002 टी0सी0, III–श्री राज्यपाल महोदय श्री तिग्मांशु धूलिया को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् में पर्यटन के सलाहकार के पद पर नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री धूलिया उक्त पद पर मानद् स्वरूप अवैतनिक रूप से कार्य करेंगे।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति / पदोन्नति

31 मई, 2013 ई0

संख्या 1669 / II-2013-01(84)/2003, टी0सी0– I–सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 37400–67000 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8900 में मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

रिक्त पद–04

1. श्री सन्दीप कुमार शर्मा
2. श्री दुर्गा प्रसाद जुगरान
3. श्री आदित्य कुमार दिनकर
4. श्री अजय वर्मा

परिणामी रिक्ति–01

5. श्री दिनेश चन्द्र सिंह (दिनांक 31–05–2013 को श्री सन्दीप कुमार शर्मा की सेवानिवृत्ति के उपरान्त घटित होने वाली रिक्ति के लिए)

2. पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 54 / एस0बी0 / 2013 श्री रमेश चन्द्र सक्सेना बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

विज्ञप्ति / पदोन्नति

31 मई, 2013 ई0

संख्या 1670 / II-2013-01(42)(430)/2012–सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 7600 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री रणवीर सिंह चौहान
2. श्री राजेन्द्र चालिसगांवकर
3. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
4. श्री राजकुमार
5. श्री अमरनाथ सिंह बिष्ट
6. श्री नन्द किशोर शर्मा (श्री सन्दीप कुमार शर्मा की मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रिक्त के विरुद्ध)
7. श्री सुभाष मित्रा (श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के कारण)
8. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (श्री पूरण चन्द्र की ग्राम्य विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के कारण)
9. श्री जीवन चन्द्र जोशी (श्री सुधीर कुमार अग्रवाल की दिनांक 31–05–2013 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रिक्ति के लिए)

10. श्री सतीश चन्द्र	(श्री दुर्गा प्रसाद जुगरान की मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरुद्ध)
11. श्री ललित कुमार शर्मा	(श्री आदित्य कुमार दिनकर की मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरुद्ध)
12. श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव	(श्री अजय वर्मा की मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरुद्ध)
13. श्री देवेन्द्र कुमार पचौरी	(श्री दिनेश चन्द्र सिंह की मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरुद्ध)

2. पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में तैनात अधिकारियों द्वारा सिंचाई विभाग में योगदान दिये जाने पर पद उपलब्ध न होने की स्थिति में पदोन्नत अधिकारियों में से कनिष्ठ कार्मिक को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

कुणाल शर्मा,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना / संशोधन

04 जून, 2013 ई0

संख्या 614 / 2013/07(100)/XXVII(8)/08–श्री राम दत्त पालीवाल, निदेशक, उत्तराखण्ड, न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली जिला–नैनीताल को अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण के रूप में तैनात करने विषयक शासन की अधिसूचना सं0–483 / 2013 / 07(100) / xxvii(8) / 08, दिनांक 22–04–2013 की चौथी एवं पांचवी लाईन में "अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड तथा सदस्य न्यायिक, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून" के स्थान पर "अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून" हो गया है जिसे "अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तराखण्ड तथा सदस्य न्यायिक, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 22–04–2013 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति / पदोन्नति

11 जून, 2013 ई0

संख्या 1811 / II-2013-01(42)(430)/2012–शासन की विज्ञप्ति / पदोन्नति संख्या 1670 / II-2013-01(42)(430)/2012 दिनांक 31–05–2013 के क्रम में सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार जैन, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को उनसे कनिष्ठ श्री राजेन्द्र चालिसगांवकर की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद

पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 7600 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. श्री जैन द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

कुणाल शर्मा,
सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

12 जून, 2013 ई0

संख्या 822/तीस–1–13–15(03)/2004–उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–374/तीस–1/2013–15(03)2004 दिनांक 01–04–2013 द्वारा श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय को उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा पुनर्आबंटित डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि दिनांक 07–08–2000 के स्थान पर उनके द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान की तिथि दिनांक 08–06–1999 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की तिथि स्वीकृत की गयी है।

2. अतः श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय की डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की तिथि 08–06–1999 स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप श्री पाण्डेय को डिप्टी कलेक्टर के पद पर 05 वर्ष की सेवा दिनांक 07–06–2004 को पूर्ण होने के उपरान्त उनकी ज्येष्ठ वेतनमान में पूर्व में दिनांक 07–08–2005 को प्रदान की गयी पदोन्नति के स्थान पर दिनांक 08–06–2004 से ज्येष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की तिथि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. श्री पाण्डेय की ज्येष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की तिथि परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/498–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 2013 ई0 (भाद्रपद 09, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
व वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

07 फरवरी 2013 ई0

पत्रांक 4688/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0–89/2013/146(120)XXVII/(8)/07/दिनांक 05–02–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा तत्कालिक प्रभाव से शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–371/XXVII/(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2008 दिनांक 11 जून, 2008 को निरस्त करते हुये अवगत कराया है।

उक्त अधिसूचना की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

05 फरवरी, 2013 ई0

संख्या 89/2013/146(120)/XXVII(8)/07–चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अत्एव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तत्कालिक प्रभाव से, शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0 371/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2008 दिनांक 11 जून, 2008 को निरस्त करने का सहर्ष आदेश करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of The Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 89/2013/146(120)/XXVII(8)/07,** dated February 05, 2013 for general information.

NOTIFICATION

February 05, 2013

No. 89/2013/146(120)/XXVII(8)/07--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to rescind Government Notification No. 371/XXVII(8)/Vanijya kar (VAT)/2008 dated 11 June, 2008 with immediate effect.

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

11 फरवरी, 2013 ई0

पत्रांक 4763/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–{उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) सपठित धारा 25(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के सम्बन्ध में स्क्रूटनी (जांच) हेतु तथा स्क्रूटनी के उपरान्त धारा 25 (6)/25(7) के अन्तर्गत कर निर्धारण हेतु, पंजीकृत व्यापारियों के Selection (चयन) की रीति का निर्धारण}–

(क) निम्न व्यापारियों को छोड़कर शेष सभी को, उनके द्वारा धारा 25(2) के प्रावधानों के अनुसार दाखिल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर, धारा 25(3) के अन्तर्गत Deemed Assessed मान लिया जायेगा।–

(1) ऐसे वर्क कॉन्ट्रेक्टर्स, जिनके द्वारा धारा 7(2) में समाधान योजना नहीं अपनायी गयी है।

(देखें धारा 25(3) एवं 7(2))

(2) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी विहित समय में दाखिल न की गयी हो, अथवा विलम्ब से दाखिल करने की दशा में, विलम्ब शुल्क के प्रमाण सहित दाखिल न की गयी हो।

(देखें धारा 25(3) एवं 25(2))

(3) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा दिनांक 30 जून,2012 तक वार्षिक विवरणी दाखिल न की गयी हो।

(देखें धारा 25(3) एवं 25(2))

(4) उक्त के अतिरिक्त सभी व्यापारियों को, वार्षिक रूपपत्र के आधार पर , Deemed Assessed मान लिया जायेगा। वार्षिक रूपपत्र ही उनका Deemed Assessement Order माना जायेगा तथा Date of order वह तारीख मानी जायेगी जो वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख हो अथवा वह तारीख, जिसमें ऐसी वार्षिक विवरणी, विहित विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के साथ दाखिल की गयी हो, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो।

(देखें धारा 25(3), 25(5)(क) एवं 25(5)(ख))

(ख) धारा 25(3) के अधीन Deemed Assessed समझे गये व्यापारियों में से स्क्रूटनी हेतु व्यापारियों के Selection की रीति–

ऐसे शत प्रतिशत व्यापारी, जो उक्त बिन्दु क(4) के अनुसार Deemed Assessed समझे गये हों, के रूपपत्रों की विस्तृत स्क्रूटनी, संबधित करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा की जायेगी। यह कार्य कार्यालय में किया जायेगा और इस हेतु व्यापारियों को नहीं बुलाया जायेगा।

(ग) स्क्रूटनी के उपरान्त धारा 25(6)/25(7) के अन्तर्गत कर निर्धारण हेतु व्यापारियों के Selection की रीति–

Deemed Assessed समझे गये व्यापारियों की स्क्रूटनी के उपरान्त, किसी व्यापारी के मामले में, निम्न में से एक तथ्य अथवा एक से अधिक तथ्य पाये जाने पर, उस व्यापारी को धारा 25(6)/25(7) के अन्तर्गत करनिर्धारण हेतु Select कर लिया जायेगा।

(1) व्यापारी द्वारा किसी टर्नओवर अथवा उसके भाग को स्व करनिर्धारित करने से छोड़ दिया गया हो।

(2) व्यापारी द्वारा किसी टर्नओवर अथवा उसके भाग Under assess किया गया हो।

(3) व्यापारी द्वारा किसी वस्तु पर निर्धारित दर की अपेक्षा निम्न दर से कर का स्वनिर्धारण/स्व आंकलन किया गया हों

(4) व्यापारी द्वारा exemption, deduction अथवा rebate का कोई गलत लाभ दिया गया हो, अथवा समाधान राशि का लाभ, प्रावधानों के विरूद्व लिया गया हो।

(5) व्यापारी द्वारा टैक्स क्रेडिट अथवा टी0डी0एस0 का कोई लाभ प्राविधानों के विरूद्व लिया गया हो।

(6) व्यापारी के विरूद्व वि0अनु0शा0, चैक पोस्ट अथवा सचल दल से ऐसी रिपोर्ट अथवा सूचना प्राप्त हुई हो, जो करनिर्धारण अधिकारी के अनुसार प्रतिकूल हो और धारा 25(6)/25(7) में करनिर्धारण करने पर अतिरिक्त मांग निकाले जाने की सम्भावना हो।

(7) व्यापारी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त हो, जिसका मिलान दाखिल रूपपत्रों तथा उसके साथ दाखिल अनुलग्नकों से न होता और धारा 25(6)/25(7) में करनिर्धारण करने पर अतिरिक्त मांग निकाले जाने की सम्भावना हो।

(8) व्यापारी आयरन एवं स्टील,सीमेंट अथवा खाद्य तेल का टेंडर हो, और उसके द्वारा रूपयें पांच लाख से अधिक की, इन वस्तुओं की खरीद पंजीकृत व्यापारियों से प्रदर्शित करते हुये आई0टी0सी का लाभ लिया गया हो अथवा इन वस्तुओं की रूपये पॉच लाख से अधिक की बिक्री पंजीकृत व्यापारियों को प्रदर्शित की गयी हो जिसके आधार पर क्रेता पंजीकृत व्यापारी आई0टी0सी0 का लाभ दे सकता हो।

(9) व्यापारी (प्लाईवुड और प्लाईबोर्ड को छोड़कर), जिनके द्वारा फार्म–XI के विरूद्व प्रान्त से टिम्बर का क्रय किया गया हो अथवा प्रान्त बाहर से टिम्बर का आयात किया गया हो, और ऐसी टिम्बर से बने ऐसे टिम्बर प्रोडक्ट्स की बिक्री की गयी हो जिस पर सामान्य कर की दर, शून्य हो अथवा टिम्बर की सामान्य कर की दर से कम हो।

(10) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा, अपनी किसी भी यूनिट में, व्यापार कर अधिनियम की धारा 4(क)(सपठित वैट अधिनियम की धारा 76 व 80) के अन्तर्गत करमुक्ति/ कर की दर में रियायत अथवा Tax Holiday का लाभ लिया गया हो।

(11) ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा आई0टी0सी0 के कारण रिफण्ड का क्लेम किया गया हो।

नोटः

(1) क्रम संख्या 01 से 07 पर अंकित आधार के निर्धारण के पीछे यह सिद्वान्त निहित है कि ऐसे मामलों में जहॉ स्व निर्धारित/स्व आंकलित कर को वास्तविक देय कर से कम प्रदर्शित किया गया हो उनमें, अभिलेखों की जांच करके एवं व्यापारी को उसका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर देय कर/देय समाधान राशि के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त/ वसूल किया जा सके। बिन्द 08 से 11 पर अंकित आधार के पीछे यह सिद्वान्त निहित है कि देय कर सुरक्षित रहे और देय कर के अपवंचन की सम्भावना न रहें।

(2) उक्त रीति से Selection करते हुए जिन मामलों में धारा 25(6)/25(7) के अन्तर्गत कर निर्धारण किया जायेगा, उनमें से कितने मामलों में अतिरिक्त मांग निकाली/जमा करायी गयी–इसके आंकड़ें सम्बन्धित कर निर्धारण की गुणवत्ता की आंकलित करने हेतु एक आधार माना जायेगा।

(घ) प्रक्रिया–

(1) धारा 25(1) के अनुसार सभी व्यापारियों का Assessement /Deemed Assessed होगा। सभी वाद पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार R-5(a) एवं R-5(b) में दर्ज किये जायेंगे। जो वाद स्क्रूटनी के उपरान्त Deemed Assessed माने जायेंगे उनके संबध में भी वांछित आंकड़े R-5(a) एवं R-5(b) में दर्ज किये जायेंगे साथ ही एक रिमार्क कॉलम खोलकर उसके आगे Deemed Assessed लिखा जायेगा, तथा निर्धारित टर्नओवर और निर्धारित कर के कॉलम में स्व निर्धारित टर्नओवर व स्व निर्धारित कर को अंकित किया जायेगा एवं कर निर्धारण आदेश के दिनांक व स्थान पर Date of Deemed Assessement Order, अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार, अंकित किया जायेगा।

(2) R-5(a) एवं R-5(b) में एक अतिरिक्त कॉलम खोलकर उसमें इस परिपत्र संबधित, वाद की श्रेणी का उल्लेख किया जायेगा यथा क–1,क–2 क–3, क–4 अथवा ग–1, ग–2 से ग–11।

(3) Deemed Assessement के संबध में आर्डर शीट पर, अन्य वादों की भांति दिनांक सहित समुचित इन्द्राज अंकित किया जायेगा

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

19 फरवरी 2013 ई0

पत्रांक 4859/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर ने अपने पत्र संख्या–2368/ज्वा0कमि0(कार्य0) वा0क0का0/12–13/विधि–अनु0/दिनांक 07–02–2013 द्वारा 02 व्यापारियों के पंजीयन निरस्त/निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त/निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित 02 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से जारी की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त/निलम्बन की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं0 2368/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0,का0/2012–13/विधि–अनुभाग/दि0 07 फरवरी, 2012

महोदया,

काशीपुर सम्भाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर, द्वितीय, रुद्रपुर के पत्र संख्या 492 दिनांक 31–01–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री गुरूनानक ट्रैक्टर्स, काशीपुर रोड रुद्रपुर टिन नं0 05005911884 व सर्वश्री ग्लोबल इण्डस्ट्रीज, प्रीत विहार कॉलोनी, रुद्रपुर टिन–05008543397 के पंजीयन तत्काल प्रभाव से दिनांक 24–01–2013 द्वारा निलम्बित कर दिये गये हैं, जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) द्वितीय,
वाणिज्य कर रुद्रपुर।

सेवा में,

ज्वाईन्ट कमिश्नर (का0पा0) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

पत्रांक/492/डि0कमि0(क0नि0)–2, वा0क0 रुद्रपुर/दिनांक 31 जनवरी, 2013

महोदय,

इस कार्यालय से सम्बन्धित व्यापारी सर्वश्री गुरूनानक ट्रैक्टर्स, काशीपुर रोड रुद्रपुर, टिन–05005911884 व सर्व श्री ग्लोबल इण्डस्ट्रीज, प्रीत विहार कालोनी, रुद्रपुर टिन–05008543397 के पंजीयन आदेश दिनांक 24–01–2013 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिये गये हैं।

उक्त सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

बी0 एम0 पन्त,
डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) द्वितीय,
वाणिज्य कर, रुद्रपुर।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

05 मार्च, 2013 ई0

विषय–वर्ष 2011–12 की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की समय–सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांक 5116/आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–57/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–**260/2013/19(120)XXIII(8)/12** दिनांक 05–03–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2011–12 की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की समय–सीमा को दिनांक 31–03–2013 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उक्त पत्र की छायाप्रतियां आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संख्या 260/2013/19(120)/xxvii(8)/12

प्रेषक,

सौजन्या,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) देहरादून : दिनांक 05 मार्च, 2013

विषय : वर्ष 2011–12 की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की समय–सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 4212 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011–12 से सम्बन्धित वार्षिकी विवरणी को दाखिल किये जाने की समय–सीमा को अन्तिम रूप से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2013 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

सौजन्या,
अपर सचिव।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

30 मार्च, 2013 ई0

पत्रांक 5580/आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–57/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–374/2013/02(120)/XXIII(8)/2013 दिनांक 25–03–2013 एवं अधिसूचना सं0–375/2013/02(120)/XXIII(8)/2013 दिनांक 25–03–2013 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रान्त बाहर से आयात की गई ईंटों (जिसमें सीमेन्ट/कंक्रीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है) की राज्य में की गई बिक्री पर देयकर के बदले ईंटों की प्रति हजार संख्या के आधार पर समाधान योजना एवं प्रान्त बाहर से आयात की गई रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे "उपखनिज" कहा जाएगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले "उपखनिज" के प्रति टन वजन के आधार पर समाधान राशि के सम्बन्धी समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लेने से अवगत कराया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के क्रम में शासन के द्वारा जारी अधिसूचनाओं की छायाप्रतियाँ आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संख्या 375/2013/02(120)/XXVII(8)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिऐ प्रान्त बाहर से आयात की गई ईटों (जिसमें सीमेन्ट/ कंक्रीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले ईंटों की प्रति हजार संख्या के आधार पर समाधान राशि संबंधी समाधान योजनां।

महोदया,

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, प्रान्त बाहर से आयात की गई ईटों (जिसमें सीमेन्ट/कंक्रीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले प्रति हजार ईंटों के आधार पर समाधान राशि स्वीकार किये जाने हेतु समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त हेतु शासन के दिशा–निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध एवं अनुबन्ध पत्र तथां शपथ पत्र के प्ररूप आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, कृपया शासन के उक्त निर्णय का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्ति करें।

उत्तराखण्ड राज्य में प्रान्त के बाहर से लायी गयी आयातित ईंटों (जिसमें सीमेन्ट/ कंक्रीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है)के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 की अवधि हेतु समाधान योजना हेतु शासन के दिशा निर्देशः–

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रान्त बाहर से आयात की गई ईटों (जिसमें सीमेन्ट/ कंक्रीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले ईंटों की प्रति हजार संख्या के आधार पर समाधान राशि, निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u> :–

1– यह योजना वैकल्पिक होगी और केवल पंजीकृत व्यापारी ही इस योजना का विकल्प अपना सकते हैं। इसका विकल्प अपनाने हेतु, योजना लागू होने के 30 दिन के अन्दर अथवा ईंट का आयात प्रारम्भ करने के 30 दिन के अन्दर, निर्धारित प्ररुप में शपथपत्र सहित, संलग्न प्ररुप–721 में प्रार्थनापत्र सम्बन्धित करनिर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। समाधान योजना का विकल्प अपनाने के बाद विकल्प को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

2– समाधान राशि ₹ 250 प्रति हजार ईंट की दर से होगी और यह मासिक आधार पर सम्बन्धित मास की समाप्ति के अगले माह की 10 तारीख तक देय होगी। समाधान राशि विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। योजना अपनाने वाले व्यापारियों को वास्तविक आयात, समाधान राशि, जमानत राशि आदि के विवरण संबंधी **रूपप्रपत्र**(जो 'कमिश्नर' द्वारा निर्धारित किया जायेगा), संबंधित माह के अगले माह की 10 तारीख तक, नकद राशि के जमा के साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना होगा।

विकल्पधारी को उक्त रूपपत्र तथा फार्म 16 के आवेदन के साथ वांछित विवरण के अलावा कोई अन्य सावधिक रुपपत्र अथवा हिसाब किताब प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सम्बन्ध में कोई नियमित वार्षिक करनिर्धारण नहीं किया जाएगा, केवल समाधान राशि का वार्षिक आंकलन किया जाएगा।

3– फार्म–16 पर ईंट की संख्या का इन्द्राज करना अनिवार्य होगा।

4– कार्यालय से फार्म–16 प्राप्त करने हेतु विकल्पधारी को प्रति फार्म ₹ 1500 नकद जमानत जमा करनां होगा। कार्यालय द्वारा फार्म–16 पर, **"केवल ईंटों के आयात हेतु"** संबंधी मुहर लगा कर जारी किया जाएगा।

प्रत्येक बार फार्म–16 प्राप्त करते समय उस समय तक के वास्तविक आयात, जमानत राशि, समाधान राशि से समायोजन आदि का विवरण आयुक्त कर द्वारा निर्धारित प्ररूप में, उस समय तक प्रयुक्त फार्म–16 की मूल प्रतियों सहित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

5– उक्त के होते हुये, यदि घोषित से अधिक "ईंट", के आयात का तथ्य पाया जाता है, तो इस आधार पर, घोषित "ईंट" पर देय समाधान राशि के अतिरिक्त, अघोषित रुप से आयात की गयी ईंटों की संख्या एवं उसकी बिक्री को वैट अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत न्याय एवं विवेक से निर्धारित किया जा सकेगा। साथ ही अर्थदण्ड आदि की अन्य कार्यवाही भी की जायेगी।

6– विकल्पधारी ब्यौहारी किसी व्यापारी से समाधान राशि के बदले में, ऐसी "ईंट" के विक्रय पर कर के रुप में, इसे कोई भिन्न या छ्दम नाम दे कर कोई राशि नहीं वसूलेगा और उसके क्रय पर कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

7– योजना को व्यवहारिक व उपयोगी बनाने के उद्देश्य से कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं जिसका अनुपालन विकल्पधारी एवं करनिर्धारण अधिकारी को करना होगा। योजना के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा।

8– विकल्प प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में "कमिश्नर" को यह अधिकार होगा कि वह, विलम्ब का संतोषजनक कारण होने पर, विलम्ब को माफ कर सकें।

प्ररूप–721

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

आयतित ईंटों (जिसमें सीमेन्ट/ कंक्रीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है) के लिए समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र

(दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014तक)

सेवा में,

असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर(करनिर्धारण),
वाणिज्य कर,
खण्ड/रेंज

महोदय,

मैं .....पुत्र श्री..... सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय. ..... पर स्थित है, तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय..... द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या(TIN)..... आवंटित है और जो दिनांक..... से प्रभावी हैं, का स्वामी/साझीदार /प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त प्रतिष्ठान/फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने तथा मेरे प्रतिष्ठान/फर्म के सभी संबंधितों द्वारा **आयतित ईंटों (जिसमें सीमेन्ट/ कंक्रीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है)** की बिक्री पर देय कर के बदले, धारा 7(2) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित समाधान राशि निर्धारित किये जाने संबंधी समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पढ़ लिया है। योजना की शर्ते एवं प्रतिबन्ध मुझे मान्य हैं उन्हीं के आधीन मैं, अपनी फर्म/प्रतिष्ठान हेतु **सलंग्न** शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र के अनुसार समाधान धनराशि स्वीकार किंये जाने का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रस्थिति.....

–:शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्रः–

मैं..... पुत्र श्री..... आयु..... वर्ष,.....
..... (पूरा पता) स्थायी निवास.....,
शपथ पूर्वक बयान करता हूँ किः–
1– मैं फर्म/प्रतिष्ठान .....जिसका मुख्यालय..... पर स्थित है, और जिसका टिन सं0.....प्रभावी दिनांक..... है, का स्वामी/साझीदार/प्रबन्धक निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि..... (प्रास्थिति) हूँ तथा मैंने यह शपथ पत्र अपने उक्त प्रतिष्ठान की ओर से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर आनियम, 2005 की धारा 7(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य के बाहर से **आयतित ईंटों (जिसमें सीमेन्ट/ कंकीट से बने ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व फैन्सी ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है)** हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 मार्च, 2014 की अवधि लिए, जारी समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
2– उक्त संबंध में शासन द्वारा जारी समाधान योजना में अंकित निर्देशों तथा शर्तो को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वे मुझे एवं हमारे प्रतिष्ठाम/फर्म में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है। मेरा प्रतिष्ठान/फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन अथवा आयुक्त कर द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए बाध्य होगा। योजना में दिये गये निर्देशों; लगायी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन न किये जाने की दशा में राज्य सरकार अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा योजना में उल्लिखित कार्यवाहियां मेरे प्रतिष्ठान/फर्म के विरूद्ध कर सकेंगे।

मैं घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है, उसमें कोई भी तथ्य गलत या अपूर्ण नहीं है न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

–:प्रमाणीकरणः–

मैं उक्त शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा उनके द्वारा घोषित उक्त फर्म/प्रतिष्ठान में उनकी प्रास्थिति सत्य है। इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर सहित)

पूरा नाम.....
पिता का नाम.....
पूरा पता.....

संख्या 374/2013/02(120)/XXVII(8)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिऐ प्रान्त बाहर से आयात की गई रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे "उपखनिज" कहा जाएगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले "उपखनिज" के प्रति टन वजन के आधार पर समाधान राशि के संबंधी समाधान योजना में।

महोदया,

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, प्रान्त बाहर से आयात की गई रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे "उपखनिज" कहा जाएगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले "उपखनिज" के प्रति टन वजन के आधार पर समाधान राशि स्वीकार किये जाने हेतु समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त हेतु शासन के दिशा–निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध एवं अनुबन्ध पत्र तथा शपथ पत्र के प्ररूप आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, कृपया शासन के उक्त निर्णय का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्ति करें।

उत्तराखण्ड राज्य में प्रान्त के बाहर से आयातित रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 की अवधि के लिए समाधान योजना लागू करने हेतु शासन के दिशा निर्देशः–

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–7 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रान्त बाहर से आयात की गई रेत,बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे "उपखनिज" कहा जाएगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले "उपखनिज" के प्रति टन वजन के आधार पर समाधान राशि, निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u> :–

1– यह योजना वैकल्पिक होगी और केवल पंजीकृत व्यापारी ही इस योजना का विकल्प अपना सकते हैं। इसका विकल्प अपनाने हेतु, योजना लागू होने के 30 दिन के अन्दर अथवा "उपखनिज" का आयात प्रारम्भ करने के 30 दिन के अन्दर, निर्धारित प्ररुप में शपथपत्र सहित, संलग्न प्ररुप–722 में प्रार्थनापत्र सम्बन्धित करनिर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। समाधान योजना का विकल्प अपनाने के बाद विकल्प को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

2– समाधान राशि ₹ 40 प्रति टन की दर से होगी और यह मासिक आधार पर सम्बन्धित मास की समाप्ति के अगले माह की 10 तारीख तक देय होगी। समाधान राशि विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। योजना अपनाने वाले व्यापारियों को वास्तविक आयात, समाधान राशि, जमानत राशि आदि के विवरण संबंधी **रूपप्रपत्र**(जो 'कमिश्नर' द्वारा निर्धारित किया जायेगा), संबंधित माह के अगले माह की 10 तारीख तक, नकद राशि के जमा के साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना होगा।

विकल्पधारी को उक्त रूपपत्र तथा फार्म 16 के आवेदन के साथ वांछित विवरण के अलावा कोई अन्य सावधिक रुपपत्र अथवा हिसाब किताब प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सम्बन्ध में कोई नियमित वार्षिक करनिर्धारण नहीं किया जाएगा, केवल समाधान राशि का वार्षिक आंकलन किया जाएगा।

3– फार्म–16 पर ''उपखनिज'' के वजन का इन्द्राज करना अनिवार्य होगा।

4– कार्यालय से फार्म–16 प्राप्त करने हेतु विकल्पधारी को प्रति फार्म ₹ 360 नकद जमानत जमा करना होगा। प्रत्येक फार्म–16 से आयात हेतु अधिकतम सीमा 9 टन होगी। कार्यालय द्वारा फार्म–16, **''दस टन तक, रेत, बजरी, रोड़ी अथवा स्टोन डस्ट के, आयात हेतु''** की मुहर लगा कर जारी किया जाएगा। एक वाहन से 9 टन से अधिक ''उपखनिज'' आयात करने की दशा में एक से अधिक फार्म–16 का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक बार फार्म–16 प्राप्त करते समय उस समय तक के वास्तविक आयात, जमानत राशि, समाधान राशि से समायोजन आदि का विवरण आयुक्त कर द्वारा निर्धारित प्ररूप में, उस समय तक प्रयुक्त फार्म 16 की मूल प्रतियों सहित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

5– उक्त के होते हुये, यदि घोषित से अधिक ''उप खनिज'', के आयात का तथ्य पाया जाता है, तो इस आधार पर, घोषित ''उपखनिज'' पर देय समाधान राशि के अतिरिक्त, अघोषित रुप से आयात किए गए ''उपखनिज'' एवं उसकी बिक्री को वैट अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत न्याय एवं विवेक से निर्धारित किया जा सकेगा। साथ ही अर्थदण्ड आदि की अन्य कार्यवाही भी की जायेगी।

6– विकल्पधारी ब्यौहारी किसी व्यापारी से समाधान राशि के बदले में, ऐसे ''उपखनिज'' के विक्रय पर कर के रुप में, इसे कोई भिन्न या छ्दम नाम दे कर कोई राशि नहीं वसूलेगा और उसके क्रय पर कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

7– योजना को व्यवहारिक व उपयोगी बनाने के उद्देश्य से कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं जिसका अनुपालन विकल्पधारी एवं करनिर्धारण अधिकारी को करना होगा। योजना के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा।

8– विकल्प प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में ''कमिश्नर'' को यह अधिकार होगा कि वह, विलम्ब का संतोषजनक कारण होने पर, विलम्ब को माफ कर सकें।

प्ररुप–722

आयतित रेत, बजरी, रोड़ी व स्टोन डस्ट के लिए समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थना पत्र

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

(अवधि–दि0 01.04.2013 से दि0 31.03.2014 तक)

सेवा में,

असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर(करनिर्धारण),
वाणिज्य कर,
खण्ड/रेंज

महोदय,

मैं .....पुत्र श्री..... सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय..... ..... पर स्थित है, तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय..... द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या(TIN).....आवंटित है और जो दिनांक..... से प्रभावी है, का स्वामी/साझीदार /प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त प्रतिष्ठान/फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने तथा मेरे प्रतिष्ठान/फर्म के सभी संबंधितों द्वारा आयतित **रेत, बजरी, रोड़ी व स्टोन डस्ट** की बिक्री पर देय कर के बदले, धारा 7(2) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित समाधान राशि निर्धारित किये जाने संबंधी समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पढ़ लिया है। योजना की शर्तें एवं प्रतिबन्ध मुझे मान्य हैं उन्हीं के आधीन मै, अपनी फर्म/प्रतिष्ठान हेतु **सलंग्न** शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र के अनुसार समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रस्थिति.....

–:शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्रः–

मैं..... पुत्र श्री..... आयु..... वर्ष,.....
..... (पूरा पता) स्थायी निवास.....
....., शपथ पूर्वक बयान करता हूँ किः–

1– मैं फर्म/प्रतिष्ठान .....जिसका मुख्यालय..... पर स्थित है, और जिसका टिन सं0.....प्रभावी दिनांक..... है, का स्वामी/साझीदार/प्रबन्धक निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि..... (प्रास्थिति) हूँ तथा मैंने यह शपथ पत्र अपने उक्त प्रतिष्ठान की ओर से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर आनियम, 2005 की धारा 7(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड शासन द्वारा, राज्य के बाहर से आयतित रेत, बजरी, रोड़ी व स्टोन डस्ट हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 मार्च, 2014 की अवधि लिए, जारी समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2– उक्त संबंध में शासन द्वारा जारी समाधान योजना में अंकित निर्देशों तथा शर्तो को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वे मुझे एवं हमारे प्रतिष्ठान/फर्म में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है। मेरा प्रतिष्ठान/फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन अथवा आयुक्त कर द्वारा लगाये गये प्रतिबंन्धों अथवा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए बाध्य होगा। योजना में दिये गये निर्देशों, लगायी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन न किये जाने की दशा में राज्य सरकार अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा योजना में उल्लिखित कार्यवाहियां मेरे प्रतिष्ठान/फर्म के विरूद्ध कर सकेंगे।

मैं घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है, उसमें कोई भी तथ्य गलत या अपूर्ण नहीं है न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

–:प्रमाणीकरणः–

मैं उक्त शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा उनके द्वारा घोषित उक्त फर्म/प्रतिष्ठान में उनकी प्रास्थिति सत्य है। इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर सहित)

पूरा नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

30 मार्च 2013 ई0

पत्रांक/5599/आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–57/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–379/2013/141(120)/XXIII(8)/2012 दिनांक 28–03–2013 की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

28 मार्च, 2013 ई0

संख्या 379/2013/141(120)/XXVII(8)/2008–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:–

अत्एव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–III के क्रमांक 1 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थातः–

क्र0सं0	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
1.	(क) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रयकराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब एवं "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन (wine)" सम्मिलित नहीं है।	नि0 या आ0	20 प्रतिशत
	(ख) देशी शराब	—	कर मुक्त
	(ग) उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन (wine)	नि0 या आ0	5 प्रतिशत

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of The Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No.379/2013/141(120)/XXVII(8)/2008,** dated March 28, 2013 for general information.

NOTIFICATION

March 28, 2013

No. 379/2013/141(120)/XXVII(8)/2008--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from 1st April 2013, the following amendment is Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:--

AMENDMENT

In schedule-III, the existing entry at serial no. 1, the following entry shall be substituted; namely:--

Sl.	Description of goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
1.	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors and "wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand State".	M or I	20 %
	(b) Country liquors	–	Exempt
	(c) Wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand State	M or I	5 %

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

30 मार्च, 2013 ई0

विषय : अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाओं के सम्बन्ध में दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिए संशोधित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांक 5600/आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–57/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–380/2013/02(120) XXIII(8)/2013 दिनांक 28–03–2013 की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संख्या 380/2013/02(120)/XXVII(8)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2013

विषयः अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाओं के संबंध में दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिए संशोधित समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में।

महोदया,

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र सं0 330 दिनांक 17 अप्रैल, 2012 से, दिनांक 01–04–2012 द्वारा दिनांक 31–03–2015 तक की अवधि के लिए पूर्व में जारी समाधान योजना में से दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिए योजना को वापस लेते हुए इस अवधि (01–04–2013 से 31–03–2015) के लिए संशोधित समाधान योजना लागू की गयी है।

उक्त हेतु शासन के दिशा–निर्देश, योजना की शर्तें एवं प्रतिबन्ध तथा इस हेतु दाखिल किये जाने वाले विकल्प प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र का प्ररूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, कृपया शासन के उक्त निर्णय एवं संशोधित समाधान योजना का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।

शासन के निर्देश

(अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत संविदाकारों हेतु, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2015 तक की अवधि हेतु देय कर के बदले एकमुश्त समाधान राशि निश्चित किये जाने के संबंध में परिवर्तित वैकल्पिक समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में)

शासन के पत्र सं0 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं विद्युत संविदाओं के संबंध में दिनांक 01–04–2012 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू की गयी थी। इस अवधि में से दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिए इस योजना को वापस लेते हुए (withdraw करते हुए) निम्न परिवर्तित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2015 की अवधि के लिए, अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत सिविल संविदाकारों एवं पंजीकृत विद्युत संविदाकारों हेतु देय कर के बदले समाधान राशि निश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

शर्तें एवं प्रतिबन्ध :–

(1) सिविल संविदाकार से तात्पर्य ऐसे पंजीकृत संविदाकार से है जो निम्नांकित प्रस्तर–क में उल्लिखित कार्य को करते हैं अथवा प्रस्तर–क में उल्लिखित कार्य के लिए हुई संविदा के अधीन प्रस्तर–क के कार्य के साथ–साथ प्रस्तर–ख, ग, घ और ङ में उल्लिखित कोई कार्य या समस्त कार्य करते हैं–

(क) सिविल कार्य जैसे कि भवनों, पुलों, सड़कों, बांधों, शेड्स, बैराजों, काजवे, उत्पलमार्ग (स्पिलवेज), डाईवर्जनों का निर्माण, मरम्मत तथा ड्रेनेज व सिवरेज से सम्बन्धित कार्य।

(ख) स्ट्रैक्चर, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, ग्रिल्स, शटर्स तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुयें यदि वह संविदा स्थल पर बनाकर उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(ग) टाइल, स्लैब, पत्थरों, तथा शीट्स आदि का लगाना यदि वह उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(घ) उपरोक्त (क) में अंकित संविदा कार्यो का विद्युतीकरण तथा प्लम्बिंग से सम्बन्धित सभी कार्य।

(ङ) भवनों की रंगाई व पुताई का कार्य।

(2) विद्युत संविदाकार से तात्पर्य ऐसे पंजीकृत संविदाकार से है जो निम्न में से कोई कार्य या समस्त कार्य करते हों:–

(क) भवनों के अन्तः या वाह्य वायरिंग जिसमे बिजली के पोल, केबिल, ओवर हैड लाईन, स्ट्रीट लाईट की लाईटनिंग एवं स्थापना शामिल है;

(ख) मैन स्विच, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ग) ट्यूब फिटिंग्स, लैम्प शेड्स, ब्रेक्रेट्स की आपूर्ति एवं स्थापना तथा पंखों की स्थांपना;

(घ) ऊर्जा वितरण उपकरण अर्थात् स्विच गेयर, पैनल डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ङ) अर्थिंग उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना;

(च) विद्युत अधिष्ठानों/ उपकरणों की मरम्मत हेतु उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना।

(3) सिविल संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि का आंगणन :

अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान राशि का आंकलन, संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि में से संविदी द्वारा आपूर्ति किये गये ऐसे माल, की धनराशि के घटाने के पश्चात् प्राप्त धनराशि पर की जायेगी जिसका उल्लेख संविदा में हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिस सिविल संविदा में मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमें संविदाकार को प्राप्त होने वाली राशि में से अर्थवर्क के सम्बन्ध में संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली राशि को घटा दिया जायेगा तथा अवशेष राशि पर समाधान राशि की गणना निम्न दर से की जायेगी:–

सिविल संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि की दर :–

(क) ऐसे मामले जिनमें सिविल संविदाकार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केन्द्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो और उनके द्वारा योजना की अवधि में कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से

की जायेगी और ऐसे संविदाकारों को, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 11 के होते हुए भी, त्रैमासिक रूपपत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल संबंधित करनिर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून तक नियम 11 में निर्धारित प्रारूप में व रीति से वार्षिक रूपपत्र दाखिल करना होगा, परन्तु समाधान राशि का भुगतान नियम 11 में दी गयी रीति एवं समय के अनुसार ही करना होगा;

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत तक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 4 प्रतिशत की दर से और यदि ऐसे आयातित माल का मूल्य सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ख) जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि का 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो तो समाधान राशि की गणना, उक्तानुसार आगणित राशि का 4 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रो की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है;

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य तथा मुख्य संविदाकार द्वारा संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल के मूल्य का योग यदि सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत तक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 4 प्रतिशत की दर से देय होगी और यदि ऐसा योग, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ग) जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रो की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर किया जायेगा, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है।

परन्तु यह कि मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि की गणना एवं उसकी दर :

(घ) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के शून्य प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया हो, उसमें समाधान राशि की गणना, सम्पन्न संविदा की धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रो की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है;

परन्तु यह कि मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य तथा मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल के मूल्य का योग सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ङ) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा में की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का प्रयोग किया हो, उसमें समाधान राशि की गणना, सम्पन्न संविदा की सकल राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रो की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है;

परन्तु यह कि मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

स्पष्टीकरण : जहाँ तक दिनांक 01–04–2013 से पूर्व की संविदाओं के विरूद्ध इस योजना की अवधि में प्राप्त भुगतान राशि का संबंध है, उस पर नियमानुसार पूर्व समाधान योजना के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समाधान राशि की गणना की जायेगी, क्योंकि संविदाकारों द्वारा तत्समय लागू समाधान योजना के अनुसार अनुबन्ध किया गया था।

(4) ऐसा संविदाकार, जिसके द्वारा संविदा के निष्पादन में आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और जिसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का विकल्प लिया गया है, के द्वारा सम्पन्न संविदा की धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का आयात करके संविदा में प्रयोग किया गया है अथवा उसके द्वारा एवं उसकी उप संविदाकार द्वारा प्रयोग किये गये आयातित माल का योग, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे मुख्य संविदाकार को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह सम्पन्न संविदा के निष्पादन में प्राप्त होने वाली सकल धनराशि पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि (ब्याज सहित) जमा कर दे। ऐस करने पर करनिर्धारण से संबंधित प्राविधान लागू नहीं होंगे।

परन्तु प्रतिबन्ध है कि, किसी संविदा के लिए एक बार उच्चत्तर दर से समाधान राशि का विकल्प अपनाने वाले संविदाकार को बाद में उस संविदा हेतु निम्नत्तर दर की समाधान राशि का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(5) जो धनराशि, धारा 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत संविदी द्वारा काटी जा चुकी है, उसके संबंध में नियम 21(6) में निर्धारित प्रमाण–पत्र(TDS Certificate) देने पर, कटौती की गयी धनराशि को समाधान राशि में समायोजित किया जा सकेगा।

(6) संविदाकार को अनुबन्ध वार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण, वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाली वार्षिक विवरणी के साथ, प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जॉच के दौरान आयातित माल का प्रयोग, अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता है तो ऐसें आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुए आयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ऐसे माल की बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा उस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा। साथ–साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(7) संविदा के निष्पादन में अन्तरित होने वाले माल के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

(8) समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नहीं होगा।

(9) यह योजना वैकल्पिक होगी। जो संविदाकार इसे नहीं अपनायेंगे उनका नियमित करनिर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते हैं वह इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना–पत्र, संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर, अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये भुगतान पर उपरोक्तानुसार आगणित समाधान राशि, प्रार्थना पत्र के साथ जमा की जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अन्दर, देय समाधान राशि तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(10) समाधान राशि निश्चित समय के अन्दर जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा।

(11) किसी संविदाकार को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प ले। जिन संविदाकारों द्वारा पूर्व वर्ष में समाधान योजना का लाभ प्राप्त किया गया है उन्हें अगले वर्ष संविदा कार्य चालू रहने की स्थिति में उस संविदा के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(12) समाधान योजना में शामिल होने संबंधी प्रार्थना–पत्र दाखिल करने से पूर्व संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा संविदाकारों पर लगाए जाने वाले कर, स्रोत पर कटौती के बारे में उच्च/ उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की गई है और यदि दायर की गई है तो वापस ले लिया गया है, तत्पश्चात् ही वह समाधान योजना की पात्रता में आएंगा।

(13) धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

(14) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 में भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकेगी तथा साथ ही साथ धारा 58 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकेगी।

(15) यदि किसी संविदाकार से धारा 35 के अन्तर्गत की गयी कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तो अधिक जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

(16) उप संविदा पर कार्य करने की दशा में उप संविदाकार, "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित प्ररूप, रीति एवं समयावधि में मुख्य संविदाकार को ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा जिसमें संविदा का विवरण, सम्पन्न उप संविदा हेतु मुख्य संविदाकार से प्राप्त धनराशि एवं सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल की राशि, अपना टिन एवं मुख्य संविदाकार का टिन एवं वे अन्य विवरण अंकित करने होंगे, जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य संविदाकार द्वारा संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसे समयावधि एवं रीति में प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि, "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

एवं मुख्य संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्ररूप, रीति एवं समयावधि में ऐसा प्रमाण पत्र, उप संविदाकार को उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें संविदा का विवरण, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा हेतु उप संविदाकार को भुगतान की गयी धनराशि, मुख्य संविदाकार एवं उप संविदाकार का टिन एवं वे अन्य विवरण अंकित होंगे, जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसा "प्रमाण पत्र" संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसी समयावधि एवं रीति में प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित किया जाय।

उप संविदाकार, उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके ही अपने कर दायित्वों से मुक्ति पा सकेगा। उप संविदा पर कार्य कराने की दशा में मुख्य संविदाकार द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने की दशा में करनिर्धारण अधिकारी, उसके द्वारा आवेदित समाधान राशि की दर से उच्चत्तर दर पर उसकी समाधान राशि की देयता आंकलित कर सकेगा।

(17) यदि, पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र/ शपथ–पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया है तो कर निर्धारक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार करनिर्धारण की कार्यवाही कर सके।

(18) संविदा की प्रकृति एवं संविदाकार के वर्ग के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य निर्देश दे सकते हैं।

(19) योजना को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं एवं आवश्यक व्यवस्था लागू कर सकते हैं एवं "प्रमाण पत्र" का प्ररूप निर्धारित कर सकता है।

(20) किसी वित्तीय वर्ष से योजना को बिना कारण बताये समाप्त करने अथवा योजना की निर्धारित समाधान धनराशि में बढ़ोत्तरी करने अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा किन्तु जिस दिन से राज्य सरकार समाधान योजना न लागू करने का निर्णय लेती है उस दिन तक प्रारम्भ की गई संविदाओं के कार्य पर तत्समय लागू योजना का लाभ उस संविदा के सम्बन्ध में दिया जायेगा और उस दिन के बाद की संविदाओं से सम्बन्धित कार्य पर नए प्राविधान लागू होंगे।

विकल्प प्रार्थना पत्र (प्रारूप 723)

अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में, शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने के संबंध में

सेवा में,

असिस्टैन्ट कमिश्नर/कर निर्धारक प्राधिकारी
खण्ड

महोदय,

1. मैं सर्वश्री .....जिसका मुख्यालय.....
पता.....स्थित है और जिसका टिन सं0.....जो दिनॉक .....से प्रभावी है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत टिन प्राप्त करने के लिए दिनॉक..... को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार/.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह **विकल्प प्रार्थना पत्र** अपनी उपरोक्त फर्म/ संस्था की ओर से वर्ष ....के लिए धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अविभाजिन संकर्म संविदा हेतु देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. संबंधित अविभाजित संकर्म संविदाओं एवं उन हेतु मेरे द्वारा अपनायी जाने वाली समाधान राशि की दर के विकल्प के विवरण निम्नप्रकार है :–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	संविदी का नाम व पता	संविदी की TDAN सं0	संकर्म संविदा/ अनुबन्ध की सं0 एवं दि0	संविदा की सकल धनराशि (₹)	संविदा की अवधि	संविदा की प्रकृति i) अविभाजित सिविल संविदा अथवा ii) अविभाजित विद्युत संविदा	संविदा निष्पादन का स्थल	समाधान राशि की दर जिसका विकल्प लिया गया
1								
2								
योग								

10	11	12	13	14	15	16	17
प्राप्त भुगतान (₹)	भुगतान का दिनांक	देय समाधान राशि	TDS (₹)	TDS समायोजन के उपरान्त देय राशि	जमा का चालान सं0 व दि0	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का विवरण	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का मूल्य

3. उपरोक्त संविदा पर देय समाधान राशि मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा संविदी द्वारा कटौती कर ली गयी है।

4. प्रस्तर दो में अंकित विवरण के अतिरिक्त मुझे न तो कोई संविदा मिली है और न ही मैंने संविदा संबंधी कोई भुगतान प्राप्त किया है।

5. उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायलय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।

6. शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को मैंने एवं हितबद्ध अन्य सभी ने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म/संस्था के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है और वे हम पर बाध्यता है।

7. इस प्रार्थना के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

8. प्रस्तर 2 में अंकित संविदाओं/ अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतियॉ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

9. मैं उक्त फर्म द्वारा की गयी माल के स्वामित्व के अन्तरण पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों तथा शासन के निर्देशों के अधीन संलग्न शपथ–पत्र/अनुबन्ध के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ।

संलग्नक– (1) शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र
(2) प्रस्तर 2 में अंकित समस्त संविदाओं/ अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतियॉ।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं। उनमें कोई भी गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म ..... के स्वामी /साझीदार / ..... हैं तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

शपथ–पत्र/अनुबन्ध पत्र (प्रारूप 724)

अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में, शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने के संबंध में

मैं .....आयु.....पुत्र श्री .....
निवासी(स्थाई).....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ –

1. कि मैं सर्वश्री .....जिसका मुख्यालय.....
पता.....स्थित है और जिसका टिन सं0.....जो दिनॉक .....से प्रभावी है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत टिन प्राप्त करने के लिए दिनॉक..... को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार/.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह **शपथ–पत्र** अपनी उपरोक्त फर्म/ संस्था की ओर से वर्ष ..... के लिए धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अविभाजिन संकर्म संविदा हेतु देय कर के बदले समाधान राशि के विकल्प संबंधी प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. कि संबंधित अविभाजित संकर्म संविदाओं एवं उन हेतु समाधान राशि की दर के विकल्प का विवरण निम्नप्रकार है :–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	संविदी का नाम व पता	संविदी की TDAN सं0	संकर्म संविदा/ अनुबन्ध की सं0 एवं दि0	संविदा की सकल धनराशि (₹)	संविदा की अवधि	संविदा की प्रकृति i) अविभाजित सिविल संविदा अथवा ii) अविभाजित विद्युत संविदा	संविदा निष्पादन का स्थल	समाधान राशि की दर जिसका विकल्प लिया गया
1								
2								
योग								

10	11	12	13	14	15	16	17
प्राप्त भुगतान (₹)	भुगतान का दिनांक	देय समाधान राशि	TDS (₹)	TDS समायोजन के उपरान्त देय राशि	जमा का चालान सं0 व दि0	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का विवरण	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का मूल्य

3. कि उपरोक्त संविदा पर देय समाधान राशि जमा कर दी गयी है अथवा संविदी द्वारा कटौती कर ली गयी है।

4. कि प्रस्तर दो में अंकित विवरण के अतिरिक्त मुझे न तो कोई संविदा मिली है और न ही मैंने संविदा संबंधी कोई भुगतान प्राप्त किया है।

5. कि उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायलय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।

6. शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को मैंने एवं हितबद्ध अन्य सभी ने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म/संस्था के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है और वे हम पर बाध्यता

संलग्न–शासन द्वारा जारी समाधान योजना।

घोषणा

मैं .....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर 1 से 6 तक के अन्तर्गत दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से सम्पूर्णतया सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र तथा उसके संलग्नक एवं अनुलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और दिशा निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पूरा पता.....

समय.....

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर शपथकर्ता.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

समय.....

स्थान.....

दिनांक.....

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव वित्त।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

11 मार्च, 2013 ई0

पत्रांक 5231/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–280/2013/ 108(120)/XXVII (8)/02 दिनांक 07–03–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2009–10 के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 31–03–2014 तक किये जाने से अवगत कराया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त विभाग

अधिसूचना

07 मार्च, 2013 ई0

संख्या 280 / 2013/108(120)/XXVII(8)/02–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 32 की उपधारा (12), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2009–2010 के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 31–03–2014 तक किया जा सकता है।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of The Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No.280/2013/108(120)/XXVII(8)/02,** dated March 07, 2013 for general information.

NOTIFICATION

March 07, 2013

No.280/2013/108(120)/XXVII(8)/02--In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 32 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 for the year 2009-2010 can be made upto 31-03-2014.

By Order,

D. S. GARBYAL,
Secretary Finance.

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

30 मार्च, 2013 ई0

विषय : भट्टा सीजन वर्ष 2012–2013 (दिनांक 01–10–2012 से 30–09–2013 तक) के लिए निर्धारित समाधान राशि में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांक 5601 / आयु0कर0उत्तरा0 / वाणि0क0 / पत्रा0–57 / विधि–अनुभाग / 12–13 / देहरादून–उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–332 / 2013 / XXIII(8)/01(A)(120)/2001 दिनांक 25–03–2013 की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें।

संख्या 332/2013/xxvii(8)/01(A)(120)2001

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2013

विषय : भट्टा सीजन वर्ष 2012–13 (दिनांक 01–10–2012 से 30–09–2013 तक) के लिए निर्धारित समाधान राशि में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया शासन के पत्र सं0 1030/2010/xxvii(8)/01(A)(120)/2001 दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा भट्टा सीजन वर्ष 2012–2013(दिनांक 01–10–2012 से 30–09–2013 तक) एवं 2013–14(दिनांक 01–10–2013 से 30–09–2014 तक) के लिये भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन के दिशा निर्देश जारी किये गये थे। भट्टा सीजन वर्ष 2012–13 में विशेष परिस्थितिवश माह अक्टूबर, 2012 एवं नवम्बर, 2012 में भट्टों पर ईंटों का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। अतः शासन द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त भट्टा सीजन वर्ष 2012–13 के लिए सभी श्रेणी के भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राशि में 20 प्रतिशत की राहत दिए जाने का निर्णय लिया गया है, अतः तद्नुसार पत्र दिनांक 13–12–2012 द्वारा जारी भट्टा समाधान योजना के प्रस्तर 4 में वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित समाधान राशि के स्थान पर निम्नानुसार समाधान राशि निर्धारित की जाती है :–

भट्ठे की श्रेणी	वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित समाधान राशि प्रति भट्ठा
15 पाये तक	76000
16 पाये तक	87200
17 पाये तक	104000
18 पाये तक	122400
19 पाये तक	143200
20 पाये तक	164800

21 पाये तक	187200
22 पाये तक	220800
23 पाये तक	254400
24 पाये तक	287200
25 पाये तक	325600
26 पाये तक	362400
27 पाये तक	403200
28 पाये तक	443200
29 पाये तक	485600
30 पाये तक	530400
31पाये तक	573600
32 पाये तक	620000
33 पाये तक	662400
34 पाये तक	708000
35 पाये तक	754400
36 पाये तक	797600
37 पाये तक	841600
38 पाये तक	888000
39 पाये तक	932000
40 पाये तक	975200

भट्टा सीजन वर्ष 2012–13 के लिए समाधान राशि का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी अब निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र दिनांक 02 अप्रैल, 2013 तक अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे तथा जो व्यापारी विलम्ब हेतु ब्याज अदा कर चुके हैं, वे उसे समाधान राशि में समायोजित कर सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 द्वारा जारी समाधान योजना की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

कृपया शासन के उक्त निर्णय का अनुपालन अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव वित्त।

पीयूष कुमार,
अपर आयुक्त वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

03 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 74 / आयु0कर0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनुभाग / पत्रा0–3 / 13–14 / देहरादून–उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–374 / 2013 / 02(120)/XXIII(8)/2013/ दिनांक 25–03–2013 द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा–2 के अन्तर्गत प्रान्त बाहर से रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे "उपखनिज" कहा जायेगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देयकर राशि के बदले समाधान योजना लागू की गई है।

उपरोक्त विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या–02 में योजना अपनाने वाले व्यापारियों को वास्तविक आयात, समाधान राशि, जमानत राशि आदि के विवरण मासिक रूप से दिये जाने हैं। उक्त के सम्बन्ध में ऐसे व्यापारियों द्वारा संलग्न रूप प्रपत्र 722(A) में विवरण मासिक आधार पर सम्बन्धित मास की समाप्ति के अगले माह की 10 तारीख तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रारूप 722(A)

आयातित रेत,बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट के सम्बन्ध में समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों हेतु समाधान राशि / जमानत राशि आदि का विवरण सम्बन्धी रूप प्रपत्र

(शासन के आदेश सख्या–374/2013/02(120)/XXVII(8)/2013 दिनांक 25–मार्च–2013 के बिन्दु (2) के संदर्भ में)

असिस्टेंट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर, दिनांक.....

सेक्टर.....

कर निर्धारण वर्ष– – 201 – 201

माह.....

TIN ---

0	5	0										

व्यौहारी का नाम एवं उत्तराखण्ड में .....

मुख्य व्यापार स्थल का पता .....

उत्तराखण्ड में शाखायें(पते सहित) 1.....

2.....

आयातित वस्तु का नाम – रेत,बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट

उक्त वस्तु हेतु प्रयोग किये गये फार्मों के प्रयोग का ब्यौरा :–

क्र0 सं0		फार्म–16 की संख्या	आयातित रेत,बजरी,रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट का वजन
1	माह के प्रारम्भ में शेष फार्म (गत तिमाही के क्रमांक (4) से)		
2	माह में प्राप्त किए गए फार्म		
3	माह में प्रयोग किए गए फार्म एवं उनसे आयातित रेत,बजरी,रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट का वजन		
4	माह के अन्त में अवशेष फार्म		

समाधान राशि की गणना

5– माह में आयातित आयातित रेत,बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट का वजन –

6– समाधान राशि (अवधि में लागू योजना के अनुसार) –

समाधान राशि के जमा का ब्यौरा)

7– माह के प्रारम्भ में अवशेष जमानत राशि –
(प्रथम बार को छोड़कर गत माह के प्रारूप 722(A) के क्रमांक (11) से) –

8– माह में जमा करायी गयी जमानत –

9– योग (7+8) –

10–समाधान राशि (6) –

11–अधिक जमा राशि (9–10) –

12–शेष समाधान राशि (10–9) –

13–शेष समाधान राशि के जमा का ब्यौरा (12) –

	लेखा शीर्ष	चालान आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (सिन)	चालान की तारीख	बैंक का नाम व पता एन0सी0आर0	बैंक	जमा किया गया कर (रू0)
i	0040001020100(VAT)					
ii	0040001020100(VAT)					
जमा की गई समाधान राशि				**योग (i+ii+----)**		

14– ब्याज व अन्य देय जमा का विवरण

i	0040008000100(ब्याज)				
ii	0040008000100				
जमा किया गया ब्याज व अन्य देय			**योग (i+ii+----)**		
15. कुल जमा की गयी धनराशि (शब्दों में)			**(13+14)**		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर .....
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
पिता का नाम .....
दिनांक ..... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रास्थिति .....

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/498–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।